राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.6(320)परि/कर/मु./18 /15170 जयपुर, दिनांकः 20/9/18

कार्यालय आदेश 26/2018

विभाग द्वारा परिवहन/गैर परिवहन यानों का पंजीयन 'वाहन 4' सॉफ्टवेयर पर किया जा रहा है। वाहनों के पंजीयन के समय अधिकांश डाटा वाहन निर्माता कंपनी द्वारा वाहन पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये डाटा से केप्चर किया जाता है। इस संबंध में निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 01.10.2018 के पश्चात सभी परिवहन/गैर परिवहन यानों के पंजीयन के समय वाहन पर देय एकबारीय कर/एकमुश्त कर की गणना हेतु वाहन की कीमत वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा 'वाहन 4' सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध कराई गई कीमतों के आधार पर की जायेगी। इस हेतु वाहन निर्माता कंपनियां वाहन सॉफ्टवेयर पर अपने वाहनों की कीमत उपलब्ध करायेगी व इस कीमत को Homologation के आधार पर केप्चर की जाकर एकबारीय कर/एकमुश्त कर की गणना की जायेगी। समस्त जिला परिवहन अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ डीलर्स जो कि पंजियन अधिकारी के रूप में अधिकृत है, दिनांक 01.10.2018 से एकबारीय कर की गणना वाहन सॉफ्टवयेर पर Homologation से उपलब्ध वाहनों की कीमत के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव

1911-1917
२०।9।18

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
4. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को भेज कर लेख है कि वाहन पोर्टल पर वाहनों की कीमत को होमोलोगेशन के माध्यम से केप्चर करने के पश्चात् ही वाहन का पंजियन किया जाना सुनिश्चित करावें।
6. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (कर)